भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

<u>अतारांकित प्रश्न संख्या: 2975</u>

<u>मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

भारत में स्टार्टअपों का बंद किया जाना

2975. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वर्ष-वार देश में कितने स्टार्टअपों को सरकार या उनके स्वयं के द्वारा बंद कर दिया गया है और इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जो वृद्धि वित्तपोषण की कमी, विनियामक चुनौतियों, बाजार में संकुचन, पैमाने में विफलता, प्रौद्योगिकी या कार्मिकों की कमी और चिह्नित किए गए किन्हीं अन्य प्रमुख कारणों सहित इन स्टार्टअपों के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्टार्टअप बंद होने की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है तथा इनकी पूंजी तक पहुंच में सुधार करने, प्रतिस्पर्धा-विरोधी परिवेश देने और उद्यमशीलता और नवाचार को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): 31 जनवरी 2026 तक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा कुल 2,12,283 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुसार 6,789 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को बंद (अर्थात, भंग/बंद) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बंद (अर्थात, भंग/बंद) के रूप में वर्गीकृत कंपनियों की उद्योगवार संख्या का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ख): स्टार्टअप्स का बंद होना सामान्यत: व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता, बाजार की मांगों के अनुरूप होना, घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियां, विकसित किए गए उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, वित्त आकर्षित करने की क्षमता और अन्य व्यवसाय विशिष्ट बातों जैसे कारकों से प्रभावित होता है।

(ग): स्टार्टअप्स की स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए एक कार्य-योजना शुरू की है, जिसमें पूंजी तक पहुंच में सुधार के उपायों के साथ-साथ उद्यमिता और नवप्रयोग को बनाए रखने के लिए ईकोसिस्टम आधारित सुधार शामिल हैं। इस कार्य-योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "फंडिंग सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग जगत तथा अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों को शामिल करने वाली **19** कार्य मदें शामिल हैं।

प्रमुख स्कीमें, नामतः, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), स्टार्टअप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह सहित आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी लागू करती है, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम-आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित करती है और उनकी सहायता करती है, जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से एक उर्जावान मंच के रूप में कार्य करते हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक अधिप्राप्ति को सक्षम करने की पहलें भी स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय में वृद्धि करने और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें व्यवसाय शुरू करना, पूंजी जुटाना और विनियामक वातावरण को सरल बनाना और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के लिए अनुपालन बोझ कम करना शामिल है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अनुसार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और बाजारों में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों (धारा 3), वर्चस्व की स्थिति के दुरुपयोग (धारा 4) का निषेध करता है और संयोजनों अर्थात विलय और अधिग्रहण (धारा 5 और 6) के नियंत्रण का प्रावधान करता है।

इन प्रावधानों को लागू करने के लिए इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई है और यह अधिनियम सीसीआई को ऐसे प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए उचित समाधान प्रदान करने का अधिकार देता है। स्थापना के बाद से, सीसीआई इस अधिनियम को लागू कर रहा है और बाजारों में

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। इसने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली फर्मों के विरुद्ध विभिन्न निर्णय और आदेश जारी किए हैं और प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण के मामले में पेनल्टी लगाई है और समाधान संबंधी निदेश जारी किए हैं।

सरकार ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से संपत्ति और कारोबार संबंधी निर्धारित सीमा को पूरा नहीं करने वाले लेनदेन के मामलों को पकड़ने के लिए सौदा मूल्य सीमा से संबंधित एक विशिष्ट प्रावधान किया है। इस सक्षमकारी प्रावधान के आने के बाद, 2000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदा मूल्य वाली छोटी कंपनियों/उद्यमों से जुड़े सभी विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) लेनदेन वाले और ऐसे मामलों की सूचना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को दी जाएगी जहां लक्षित उद्यम (अर्थात, अधिग्रहीत उद्यम) का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन है। इससे सीसीआई को ऐसे लेनदेन के कारण प्रतिस्पर्धा को होने वाले संभावित नुकसान (प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव) को रोकने का अवसर प्राप्त होगा।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 10.03.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2975 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के आंकड़ों के अनुसार डीपीआईआईटी ने **जिन कंपनियों को स्टार्टअप के तौर पर मान्यता** प्रदान की **है और जिन्हें बंद** (अर्थात, भंग/बंद) के रूप में वर्गीकृत किया **है, उन**का उद्योगवार विवरण निम्नानुसार है:

उद्योग	स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसी कंपनियों की संख्या जिन्हें बंद (अर्थात, भंग/बंद) के रूप में वर्गीकृत किया है
विज्ञापन	60
एरोनॉटिक्स एयरोस्पेस और रक्षा	45
कृषि	301
एआई	156
एनेलिटिक्स	51
एनिमेशन	3
एआर वीआर (ऑगमेंटेड + वर्चुअल रिएलटी)	51
आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइन	37
कला और फोटोग्राफी	21
ऑटोमोटिव	125
जैव प्रौद्योगिकी	10
रसायन	25
कंप्यूटर विजन	24
निर्माण	167
डेटिंग मैट्रीमोनियल	10
डिज़ाइन	46
शिक्षा	491
एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर	158
इवेंट्स	47
फ़ैशन	111
वित्त प्रौद्योगिकी	203
खाद्य एवं पेय पदार्थ	320

उद्योग	स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसी कंपनियों की संख्या जिन्हें बंद (अर्थात, भंग/बंद) के रूप में वर्गीकृत किया है
हरित प्रौद्योगिकी	142
हेल्थकेयर और लाइफसाइंसेज	553
घरेलू सेवाएं	61
मानव संसाधन	119
इंडिक लैंग्वेज स्टार्टअप्स	32
इंटरनेट ऑफ थिंग्स	132
आईटी सेवाएं	875
लॉजिस्टिक्स	26
विपणन	152
मीडिया एवं मनोरंजन	129
नैनो टेक्नॉलाजी	11
गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	188
अन्य विशेष खुदरा विक्रेता	37
अन्य	305
यात्री अनुभव	1
पालतू जानवर और पशु	21
व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं	262
रीयल एस्टेट	59
नवीकरणीय ऊर्जा	138
रिटेल	212
रोबोटिक्स	43
सुरक्षा	18
सुरक्षा समाधान	44
सामाजिक प्रभाव	51
सोशल नेटवर्क	83
खेल-कूद	32
प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	166
दूरसंचार और नेटवर्किंग	57
वस्त्र और परिधान	90
खिलौने और खेल	10
परिवहन और भंडारण	123

उद्योग	**स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त ऐसी कंपनियों की संख्या जिन्हें बंद (अर्थात, भंग/बंद) के रूप में वर्गीकृत किया है**
यात्रा और पर्यटन	127
अपशिष्ट प्रबंधन	28
कुल	**6,789**

*****